WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052023-245866
CG-DL-E-13052023-245866

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2023/वैशाख 22, 1945
No. 121]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2023/VAISAKHA 22, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2023

[मामला सं. एडी (ओ.आई.) - 04/2023]

विषय :चीन जन .गण., सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेंटाएरीथ्रिटोल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के संबंध में।

फा. सं. 06/04/2023- डीजीटीआर.—1. मैसर्स कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद इसे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" के रूप में भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेंटाएरीथ्रिटोल" (इसके बाद इसे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तुएं", के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को चीन जन. गण., रूस, सऊदी अरब और ताइवान से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है और उसने चीन जन. गण., रूस, सऊदी अरब और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "पेंटाएरीथ्रिटोल" है। पेंटाएरीथ्रिटोल इलैक्ट्रोडाइलिसिस पृथक्करण प्रौद्योगिकी अथवा फ्रेक्शनल क्रिस्टलीकरण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्पादित एक आर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला $C_5H_{12}O_4$ होता है और मॉलिक्यूलर भार 136.15 होता है । दोनों प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादित उत्पाद के गुणों में कोई अंतर नहीं है।

4. पेंटाएरीथ्रिटोल या तो टेक्नीकल या नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है और दोनों ही ग्रेड एक समान प्रक्रिया से उत्पादित किए जाते हैं। टेक्नीकल अथवा नाइट्रेशन ग्रेड के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, जबकि नाइट्रेशन ग्रेड में टेक्नीकल ग्रेड की तुलना में इसकी अधिक शुद्धता के कारण एक सामान्य अधिक कीमत होती है। टेक्नीकल और नाइट्रेशन ग्रेड के बीच कीमत का अंतर नगण्य है और विचाराधीन उत्पाद के संबंध में की गई विगत जांचों में प्राधिकारी के विगत निर्धारण के अनुसार है, लेकिन तुलना के प्रयोजन के लिए दोनों ग्रेड के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है।

5. उत्पादन प्रक्रिया में अधिकतर "टेक्नीकल ग्रेड" (जो 98 प्रतिशत है) का उत्पादन होता है, जबकि नाइट्रेशन ग्रेड का उत्पादन बहुत ही कम (2 प्रतिशत से भी कम) होता है। इसके अलावा, आयात मुख्यत: टेक्नीकल ग्रेड का होता है।

6. आवेदक पेंटाएरीथ्रिटोल को डाई-पेंटाएरीथ्रटोल में परिवर्तित करने में भी शामिल है। तथापि, डाई-पेंटाएरीथ्रिटोल विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

7. पेंटाएरीथ्रिटोल का उपयोग इसके डेरिवेटिव के निर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग पेंट, वार्निश और अन्य सर्फेस कोटिंग उद्योगों में सुखाने वाले (ड्राईंग) एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अधिकांशत: अल्काइड रेसिन, रेसिन, रेसिन एस्टर्स, प्लास्टिसाइजर्स, प्रिंटिंग इंक, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक के लिए स्टेबलाइजर, मोडिफाइड ड्राईंग आयल, डिटोनेटर, एक्सप्लोसिव, फार्मास्यूटिकल और कोर ऑयल तथा सिंथेटिक लुब्रिकेंट इत्यादि के निर्माण में किया जाता है।

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत, सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2905.42.90 के तहत आयात किया जाता है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9 जांच के लिए पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पाटनरोधी आवेदन के अगोपनीय पाठ के परिचालन में 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने यह कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यात की गई वस्तु भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा निर्मित की गई वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित की गई संबद्ध वस्तुओं को बदल बदल कर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित की गई वस्तु पर संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु के रूप में विचार किया गया है

ग. संबद्ध देश

11. आवेदक ने चीन, रूस, सऊदी अरब और ताइवान को संबद्ध देशों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान रूस से किए गए आयात की मात्रा न्यूनतम है। अत: प्राधिकारी ने चीन, सऊदी अरब और ताइवान को इस जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध देश के रूप में विचार किया है।

घ. जांच की अवधि

12. याचिकाकर्ता ने पीओआई प्रस्तावित किया है (ए) उस अवधि को छोड़कर जिसके दौरान चीन पर शुल्क लागू थे, और वह अवधि जिसके लिए डेटा/सूचना उपलब्ध नहीं है, (बी) अपूरणीय क्षति और क्षति के संबंध में जांच करने की तात्कालिकता पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हो रहा है। आवेदक ने 01 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(6 महीने) को उस अवधि को छोड़कर जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया, जिसके दौरान चीन पर एंटी-डंपिंग शुल्क लागू थे (जो जून 2022 में समाप्त हो गए थे)।

13. तथापि, जांच की अवधि के संबंध में संशोधित नियम 22 (3) का स्पष्टीकरण इस प्रकार से है :-

इन नियमों के प्रयोजन के लिए, जांच की अवधि – (i) जांच शुरू होने की तारीख की स्थिति के अनुसार 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होगी। (ii) 12 माह की अवधि के लिए होगी और ऐसे कारणों से, जिन्हें लिखित में दर्ज किया जाना है, निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम 6 माह अथवा अधिकतम 18 माह का विचार कर सकते हैं।"

14. नियम में उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए, प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 (9 माह की अवधि) की है। इच्छुक पार्टियां जांच की अवधि (पीओआई) की उपयुक्तता के संबंध में आवेदन के अगोपनीय संस्करण के प्रचलन की तारीख से 15 दिनों के भीतर टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रदान कर सकती हैं। क्षति अवधि में 2019-20, 2020-21, अप्रैल 21 से जून 22 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

ङ. घरेलू उद्योग और आधार

15. यह आवेदन मै० कनोरिया कैमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कनोरिया) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देशों से न तो संबद्ध वस्तुएं आयात की हैं और न ही वह संबद्ध देशों से किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं। संबद्ध वस्तुओं का केवल एक ही अन्य भारतीय उत्पादक नामत: मैसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (एशियन) है। आवेदक ने यह दावा किया है कि एशियन पेंट कैप्टिव खपत के लिए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करता है और इस प्रकार, उसका उत्पादन पात्र घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संबद्ध देशों से पाटित आयातों का मुकाबला नहीं करता और न ही आवेदक द्वारा की गई बिक्रियों से मुकाबला करता है ।

16. उपलब्ध सूचना के आधार पर और विधिवत जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए उत्पादन में अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल करने के बाद भी कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" शामिल है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2 (ख) से तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग के रुप में है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में निहित हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत से संबंधित सूचना बाजार से संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

18. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमत के संबंध में आंकड़े अथवा किसी अन्य वैकल्पिक पद्धति का उपाय इस अवस्था में उपलब्ध नहीं है। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लाभों तथा लाभों के लिए तर्कसंगत वृद्धि के साथ, उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्मित किया गया है।

सऊदी अरब और ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब और ताइवान के घरेलू बाजार में उत्पाद की कीमत के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रयास किए गए थे, तथापि, वे उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, सऊदी अरब और ताइवान के घरेलू बाजारों में उत्पादन की वास्तविक सौदा-बिक्री कीमत के बारे में प्रकाशित स्रोतों से कोई तर्कसंगत, अधिकृत

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

और सटीक सूचना प्राप्त नहीं हो सकती। अत: जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को विधिवत समायोजित करने के बाद आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की गई है। प्राधिकारी आगे हितबद्ध पक्षकारों और आवेदक द्वारा जांच के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रदान किए गए साक्ष्य की जांच करेंगे ।

ख. निर्यात कीमत

20. डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, भारत में आयातों के लिए सूचित की गई सीआईएफ कीमत पर निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग प्रभारों, बंदरगाह व्ययों और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं ।

ग. पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना बाह्य स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम *दृष्टया* यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम के स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा, जांच की अवधि का तिमाही विश्लेषण भी यह दर्शाता है कि पहली और अंतिम तिमाहियों के बीच पाटन मार्जिन में गिरावट है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित की जा रही हैं।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य</u>

22. आवेदक ने पाटित आयातों के कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में प्रथम *दृष्टया साक्ष्य* प्रस्तुत किए हैं। यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुएं पहले विभिन्न देशों से पाटनरोधी उपायों के अधीन थी, तथापि, संबद्ध देशों के संबंध में किसी प्रकार के विस्तार की मांग नहीं की गई थी क्योंकि आवेदक के निष्पादन में सुधार आया और उद्योग ने यह विचार किया कि अब आयात पाटित कीमतों पर बाजार में आगे प्रवेश करने की संभावना नहीं है। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों में सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण कीमत में गिरावट के चलते हानियां, नकदी हानियां और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ है। संबद्ध देशों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों के बाजार अंश में गिरावट आई है। उसी क्षेत्र में मांग में वृद्धि के बावजूद उत्पादन और बिक्रियां बनी रही हैं। इसके अलावा, मालसूची में काफी वृद्धि हुई थी और वृद्धि, मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों, दोनों के संदर्भ में नकारात्मक रही है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग के पर्याप्त क्षति होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

23. संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, आवेदक द्वारा विधिवत साक्ष्य सहित दायर किए गए आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने के बाद संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव के निर्धारण के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो इससे घरेलू उद्योग को क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, एक पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

24. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

25. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ई-मेल के द्वारा ईमेल पतों, adg13-dgtr@gov.in, और adv11-dgtr@gov.in, पर किया जाएगा, जिसकी एक प्रति jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर प्रेषित करनी होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस फार्मेट में होना चाहिए और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

26. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को, नीचे उल्लिखित की गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रारूप में और विहित ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपरोक्त पैरा 25 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर, विहित प्रपत्र में और विहित ढंग से, इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें।

ट. <u>समय-सीमा</u>

30. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर प्रेषित करने चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेज आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को प्रदान किया गया था, उसके एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

32. कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है तो नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ में संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

34. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हिस्से पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना के अगोपनीय पाठ को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीय होने का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त रुप से विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिसों के संदर्भ में पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरणों सहित इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि इसका सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ की प्रप्ति के 7 दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर उनकी टिप्पणी को भेज सकते हैं।

37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

39. प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं किया जाएगा।

ड **<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

40. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रोनिक मोड में रखने की कार्यप्रणाली की जांच की जा रही है।

ढ. **<u>असहयोग</u>**

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच में प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2023

[Case No. AD(OI)-04/2023]

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Pentaerythritol” originating in or exported from China PR, Saudi Arabia, and Taiwan.

F. No. 06/04/2023-DGTR.—1. M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”), for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of “Pentaerythritol” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, and Taiwan.

2. The applicant has claimed that injury to the domestic industry is being caused due to the dumped imports from China PR, Russia, Saudi Arabia, and Taiwan and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, and Taiwan.

A. **<u>Product Under Consideration (PUC)</u>**

3. The product under consideration in the present investigation is “Pentaerythritol”. Pentaerythritol is an organic compound produced using electrodialysis separation technology or fractional crystallization technology having molecular formula of $C_5H_{12}O_4$ and molecular weight of 136.15. There is no difference in product properties produced through the two technologies.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

4. Pentaerythritol can be of either technical or nitration grade and both the grades are produced out of the same process. There is no material difference between technical or nitration grade while the latter tends to have a nominal higher price due to its higher purity compared to the former. The price difference between technical and nitration grade is insignificant and consistent with the past determination of the Authority in previous investigations conducted on the product under consideration, no differentiation is made between the two grades for the purpose of comparison.

5. Production process largely results in production of "technical Grade" (which is 98%) while the production of nitration grade is very minimal, (less than 2%). Further, imports are primarily of technical grade.

6. The applicant is also involved in the conversion of Pentaerythritol to Di-pentaerythritol. However, Di-pentaerythritol is beyond the scope of the product under consideration.

7. Pentaerythritol is used in the manufacturing of derivatives which are used as drying agent in paint, varnishes, and other surface coating industries. It is mostly used in the manufacture of alkyd resins, resins, resin esters, plasticizers, printing inks, synthetic rubber, stabilizers for plastics, modified drying oils, detonators, explosives, pharmaceuticals, and core oils and synthetic lubricants, etc.

8. The product under consideration is imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 2905.42.90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

9. The parties to the investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of non-confidential version of the anti-dumping application.

B. <u>Like Article</u>

10. The applicant has stated that there is no known difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject countries. The article produced by the applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the subject goods are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of the present investigation, the article produced by the applicant has been considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. <u>Subject Countries</u>

11. The applicant has proposed China, Russia, Saudi Arabia, and Taiwan as the subject countries. The DGCI&S published data shows that the import volume from Russia during the period of investigation is negligible by the way of volume. Hence, the Authority has considered China, Saudi Arabia, and Taiwan as the subject countries for the purpose of this investigation.

D. <u>Period of Investigation</u>

12. The petitioner has proposed POI (a) excluding the period during which duties on China were in force, and the period for which data/information is not available, (b) considering urgency in undertaking investigations, having regard to irreparable loss and damage that is occurring to the domestic industry. The applicant proposed 01st July 2022 to 31st December 2022 (6 months) as the period of investigation after excluding the period during which anti-dumping duties were in force on China (which expired in June 2022).

13. However, the explanation to amended Rule 22(3) with regard to the period of investigation states as follows:

For the purposes of these rules, the period of investigation shall, - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation. (ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months."

14. In view of the above provision in the Rules, and after examining the submission of the applicant, the Authority has considered the period of investigation (POI) for the present investigation from 01st July 2022 to 31st March 2023 (a period of 9 months). Interested parties may provide comments, if any, within 15 days from date of circulation of non-confidential version of application with regard to appropriateness of period of investigation (POI). The injury period will cover 2019-20, 2020-21, April '21 to June '22, and the period of investigation (POI).

E. <u>Domestic Industry and Standing</u>

15. The application has been filed by M/s Kanoria Chemicals and Industries Limited (Kanoria). The applicant has certified that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer from the subject countries or importers in India. There is only one other Indian producer of the subject goods namely M/s Asian Paints (India) Limited (Asian). The applicant has claimed that Asian Paint produces the

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

subject goods for captive consumption and thus its production should not be included in the eligible domestic production as it does not compete with the dumped imports from the subject countries, nor with the sales made by the applicant.

16. On the basis of information available, and after due examination, the Authority notes that the production by the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production even after including the production by other Indian producers. Thus, the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the anti-dumping Rules.

F. <u>Basis of alleged dumping</u>

a. Normal Value

Normal Value for China PR

17. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

18. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available at this stage. The normal value has been constructed based on the best estimates of cost of production in India as per the best information available with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits.

Normal Value for Saudi Arabia, and Taiwan

19. The applicant has claimed that efforts were made to collect the data relating to price of the product in the domestic market of Saudi Arabia and Taiwan, however, the same was not available. Further, no reasonable, authentic, and accurate information could be obtained from published sources about the actual transaction-selling price of the product in the domestic markets of Saudi Arabia and Taiwan. Therefore, for purpose of initiation, the normal value has been calculated based on the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The Authority will further examine the evidence provided by the interested parties and the applicant for the determination of normal value during the investigation.

b. Export Price

20. The CIF price reported for imports into India, as per DGCI&S published data has been considered for the determination of export price. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, handling charges, port expenses, and bank charges. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the net export prices claimed by the applicant.

c. Dumping Margin

21. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is not only above the *de-minimis* level but also significant. Further, the quarterly analysis of the period of investigation also shows decline in dumping margin between the first and last quarters. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject countries are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. <u>Evidence of Injury and Causal link</u>

22. The applicant has furnished *prima facie* evidence regarding the injury resulting from the alleged dumping of subject imports. It has been claimed that the subject goods were previously subjected to anti-dumping measures from various countries, however, no extension was sought on subject countries as the applicant's performance improved and the industry considered that imports are no longer likely to enter the market at dumped prices.The imports from the subject countries have however increased in absolute and relative terms. The price depression caused by the dumped imports have led to losses, cash losses, and negative return on capital employed. The market share of subject countries has increased whereas that of the domestic industry and other countries have declined. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports of the subject goods from the subject countries.

H. <u>Initiation of anti-dumping investigation</u>

23. On the basis of the duly substantiated application by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

24. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of Information

25. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in and adv11-dgtr@gov.in with copy to jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

26. The known exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

27. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 25 above.

28. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make at non-confidential version of the same available to the other interested parties.

29. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the DGTR, i.e., https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. Time Limit

30. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@govin within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

32. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

33. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-Confidential versions separately.

34. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

35. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

36. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

40. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

41. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.